Original

रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार

वाद संख्या 3391/83

बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अध्यादेश १९७५ की धारा ३७ के अन्तर्गत [illegible] भवन निर्माण के नक्शे में निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृति दी जाती है :-

(i) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कम से कम १५ दिन पहले [illegible] को सूचित करें।

(ii) [illegible]

(iii) अन्य कोई शर्तें :-

25/1/85

[illegible] नगर निवेशक

उपाध्यक्ष